

# सुरक्षा अलर्ट: अपने मकानों और बिजली के तारों/ खंभों आदि के बीच रखें आवश्यक दूरी



जनहित में जारी

मकानमालिकों / दुकानदारों / निवासियों व आम लोग कृपया ध्यान दें

अधिकृत बिजली मेन्स या बिजली की अन्य चीजों ( जैसे-खंभे, ट्रांसफॉर्मर, आदि) के निर्माण के दौरान या उसके बाद जिन मकानों, ढांचों, प्रॉजेक्शंस, बालकनियों या चारदीवारियों आदि को बढ़ाया गया है, वे भारतीय बिजली नियम – 1956 के नियम 79 व 80 की धाराओं तथा बिजली कानून – 2003 (धारा 53 व 68 (5) धारा 161 के साथ पढ़ा जाए) के मानकों के हिसाब से जरूर होने चाहिए।



भारतीय बिजली नियम 1956 के नियम 79 व 80 के अनुसार, दुर्घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं के बचने के लिए यह जरूरी है कि बिजली के मेन्स या बिजली की अन्य चीजों से, ऊपरी या समतल स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए।

क्रम संख्या	लाइन/अन्य चीजें	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतल दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/ बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
1	कम से मध्यम वोल्टेज लाइन तथा 850 वोल्ट तक की सर्विस लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
2	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
3	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
4	बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33000 वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)



मालिकों/ निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अनाधिकृत ढांचे, बिल्डिंग्स, प्रॉजेक्शंस, बालकनी, चारदीवारी आदि को तुरंत प्रभाव से हटा लें ...

नोट: उपरोक्त भारतीय बिजली नियम 1956 के नियम 79 व 80 के उल्लंघनकर्ता किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान (जीवन, संपत्ति आदि) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी।

अधिक जानकारी के लिए बीवाईपीएल ओएंडएम से संपर्क करें- 39999808

**BSES**  
BSES Yamuna Power Limited

A Joint Venture with Govt of NCT, Delhi  
ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 company